12/संख्या-433/11-सं0वि0क0नि0-7-15-500(104)/04

प्रेषक

सुधीन्द्र कुमार

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप निबन्धक उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक मार्च, 2015

विषय- विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में सम्पत्ति के निबन्धन के समय उनके द्वारा विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासन के कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या क0नि0-7-152/11-2015-500(104)/04 दिनांक 20 मार्च, 2015 द्वारा विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में सम्पत्ति के अन्तरण/पट्टा विलेख के निबन्धन में देय स्टाम्प शुल्क से छूट विकलांगजन अधिनियम,1995 के प्राविधानों के दृष्टिगत विभिन्न शर्तो के अधीन प्रदान की गई है।

2. उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हु आहे कि विकलांग व्यक्तियों द्वारा ऐसे विलेखों के निबन्धन के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता समबन्धी प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भवदीय

ह0/-

(सुधीन्द्र कुमार)

उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।

7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10.. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।